

न्यायालय अपीलिय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/135/2025

दायर दिनांक:- 19/09/2025

रजि0 न0 2025/344

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री भवानी सिंह निवासी 362 गाँधी नगर,  
अलवर (राज.)

लोक सूचना अधिकारी एवं रायिव नगर  
विकारा न्यारा, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 07.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 27.07.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत की गई है। अतः सूचना दिलवायी जावे।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के जवाब पत्र संख्या यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2025/8911 दिनांक 01.10.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों-प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 27.07.2025 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से अपीलार्थी को न्यास पत्र क्रमांक 6609 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा प्रार्थना-पत्र में चाही गई सूचना/प्रतिलिपी विशिष्टियां रहित, प्रश्नात्मक एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत नये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना एवं नयी सूचना का सृजन करना संभव नहीं होने के कारण अपीलार्थी को सूचना का विनिश्चय किया जा कर संसूचित किया गया है। प्रति संलग्न है। अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑफलाइन पत्र स. 6609 दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से चाही गई सूचना का विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
7. आज दिनांक 07.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



(डा. आतिका शुक्ला)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर